सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या 131/2013 निर्णय दिनांकः 29-12-17

उनवानः— रामधन बनाम भूरा व अन्य

प्रार्थना पत्रः— अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वाके ग्राम अचरोल तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित वादअधीन भूमि आ.ख.न. 3960/7863, 3979, 3982 लगायत 3995, 3998 लगायत 4019 कुल खसरा किता—38 कुल रकबा 5.48 है0 सयुंक्त हिन्दू परिवार की सयुक्त आराजीयात है। जिसमें प्रार्थी के पिता स्व0 नींबू उर्फ भंवरलाल पुत्र छाजू का 1/4 हिस्सा निहित है। जिनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी की माता मुन्नी देवी पत्नि नीबूं के नाम नामांतकरण दर्ज कर दिया गया। अपने पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी की उम्र 2 वर्ष ही थी इस कारण राजस्व रिकार्ड में सहवन से विरासत का नामान्तकरण तस्दीक नही हुआ। जिसकी प्रार्थी को पूर्व में जानकारी नही थी। प्रार्थी की माता मुन्नी देवी का हाल ही में (6 माह पूर्व) निधन हो गया है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का एकमात्र वारिस प्रार्थी ही है। जिसे अपनी माता की मृत्यू के पश्चात स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है, परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण अमल दरामद नहीं हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण तस्दीक हुए बिना ही वादपत्रमय प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रवृति का होने के कायम प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थी के द्वारा मात्र अपनी स्व0 माता मुन्नी देवी के स्थान पर स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की घोषणा चाही गई है। अपने पिता नींबू पुत्र छाजू की मृत्यू के समय प्रार्थी मात्र 2 वर्ष का था जिस कारण नामान्तकरण तस्दीक नही हुआ एवं अपने माता—पिता की मृत्यू के पश्चात उनका एकमात्र पुत्र होने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। साथ ही विवादित आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित आराजीयात है तथा प्रार्थी विवादित आराजीयात का सहखातेदार काश्तकार है। जिससे प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत विभाजन करवायें। जिसके सदंर्भ में वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थीगण आराजीयात को विधिवत विभाजन के अभाव में ही भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमदा है। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यदि अप्रार्थीगण भूमि को बिना तकासमा कराए विक्रय करने में सफल हो जाने में तो बिना वजह वाद बहुलता बढेगी तथा प्रार्थी को अजनबी केता से झगडा प्रसाद होने की संभावना रहेगी तथा केता द्वारा जबरन प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई कदापि संभव नही होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजीयात का विक्रय, निर्माण आदिनाक तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी ने अपने प्रा0 पत्र के समर्थन में विवादित आराजीयात की जमाबन्दी सम्वत 2062—2065 की प्रति (कुल किता—4) प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र के जवाब के रूप में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी ना तो प्रार्थी के संयुक्त परिवार की आराजीयात है और ना ही प्रार्थी स्व0 श्री नींबू उर्फ भंवरलाल पुत्र छाजू का पुत्र है। नींबू उर्फ भैरू नाऔलाद फौत हुआ था। नींबू उर्फ भैरू की धर्मपत्नि श्रीमती मु0 मुन्नी देवी का देहान्त दिनांक 20.11.2001 हो चुका है तथा मृतक खातेदार नीबू उर्फ भैरू एवं श्रीमती मुन्नी देवी ने अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी जाइन्दा पुत्र अथवा पुत्री को जन्म नही दिया था। मृतक नींबू एवं मुन्नी देवी ने सामाजिक रीति रिवाज के द्वारा शिम्भूदयाल पुत्र श्री जालूराम को उसके बचपन में ही गोद ले लिया था जिसके आधार पर उक्त दोनो खातेदारों के फौत होने पर गौदपुत्र शिम्भूदयाल मु0 पुत्र निंबू उर्फ भैरू का विरासत के आधार पर विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में फौती नामान्तरकरण तस्दीक हो चुका है तथा शम्भूदयाल मु0 पुत्र निंबू उर्फ भैरू का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो चुका है। प्रार्थी का यह कहना कि प्रार्थी की माताजी मुन्नी देवी का

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

नामान्तरकरण खुला था तब उसकी उम्र 2 साल की थी पूर्णतया गलत है क्योकि यदि उसकी उम्र 2 वर्ष की थी तो भी जरिये नाबालिग संरक्षिका के तहत नामान्तकरण खुल जाता तथा ना ही प्रार्थी ने उस समय का पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा पंचायत के द्वारा जारी वारिसनामा पेश किया। यदि प्रार्थी उक्त खातेदार का जाईन्दा वारिस होता तो अपने पिता की मृत्यु की तारीख एवं उससे सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करता। लेकिन प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली के साथ पेश नही किया है तथा प्रार्थी ने अपने अभिकथन में नींबू उर्फ भंवर का हिस्सा 1/4 भाग बताया है जो गलत है क्योकि मृतक खातेदार का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/4 नही होकर 1/6 दर्ज है। जिसपर मृतक खातेदार नींबू का गोद पुत्र शम्भूदयाल काबिज है। इसके अतिरिक्त मृतक खातेदार का नाम नींबू उर्फ भंवर ना होकर उसका नाम नींबू उर्फ भैरू है। प्रार्थी के पिताजी की मृत्यु के समय प्रार्थी की उम्र 2 साल की थी तो प्रार्थी की माताजी की मृत्यु के समय कितनी उम्र थी यह नहीं बताया अगर प्रार्थी माताजी की मृत्यु के समय बालिग हो गया तो प्रार्थी खातेदार श्रीमती मुन्नी देवी का मृत्यू प्रमाण पत्र बनवा कर पंचायत से वारिसनामा बनवाता एवं उसके बाद गांव के पटवारी से फौती नामान्तकरण की कार्यवाही करवाता लेकिन प्रार्थी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योकि मृतक खातेदार नींबू उर्फ भंवर एवं श्रीमती मुन्नी देवी का प्रार्थी से दूर–दूर तक कोई हक सम्बन्ध नही है और ना ही प्रार्थी को यह पता की मु. मुन्नी देवी का देहान्त कब हुआ। प्रार्थी ना तो कभी गांव में रहा और ना ही वादग्रस्त आराजी पर आज दिन तक काबिजकाश्त रहा है। प्रार्थी का खातेदार नींबू उर्फ भंवर और श्रीमती मुन्नी देवी से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि दोनो खातेदारों की मृत्यु नाऔलाद हुई थी।इसलिए प्रार्थी ना तो उक्त दोनो खातेदारों का उत्तराधिकारी है और ना ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को अपने माता की फौत होते ही फौती नामान्तरकरण खुलवाने की कार्यवाही करवानी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी ने ऐसा कुछ भी नही किया और एक झूठा एवं मनगढत काल्पनिक तथ्यों के आधार पर घोषणा का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जो काबिले खारिज है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सह खातेदार भी नही है, प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है इसलिए उक्त प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई हक–सम्बन्ध नहीं होने की वजह से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ना तो वादग्रस्त आराजी पर काबिजकाश्त है और ना ही प्रार्थी लगान सरकारी जमा करवाता है यदि जमा करवाता है तो प्रार्थी को पत्रावली में लगान रसीदे पेश करनी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी ने ऐसा कुछ भी नही किया क्योकि प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी से दूर–दूर तक कोई हक सम्बन्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है कि अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावे। जब प्रार्थी मौके पर काबिज है ही नही तो उसके उपयोग–उपभोग में मिनउत्तरदाता/अप्रार्थीगण के द्वारा बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सरासर गलत तथ्यों एवं वास्तविकता से विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। प्रार्थी का यह कथन की अप्रार्थीगण द्वारा नाप–जोप कर बेचान करने की धमकी दी है सरासर गलत एवं मनगढत तथ्यों पर लिखा जाकर वाद कारण बनाया है जबकि प्रार्थी को ऐसा कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद मियाद से बाहर होने से काबिले खारिज है। अतः उक्त कारणों के मददेनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली गौरपूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं के विवादित भूमि के मृतक खातेदारान के वारिस होने के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य अथवा पंचायत द्वारा जारी वारिसनामा भी प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रार्थी के स्व0 नींबू व मुन्नी देवी के एकमात्र वारिस होने की प्रमाणिकता सिद्ध होती हो अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर